

राजस्थान -सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/आर-1021/19/ दिनांक:-

संशोधन आदेश

श्री रामस्वरूप वर्मा, नर्स-2, राजकीय सामान्य चिकित्सालय बून्दी का स्वयं की बीमारी का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 657 दिनांक 26.07.2019 के द्वारा अवकाश स्वीकृत किया गया था।

1. दिनांक 23.11.18 से 22.03.19 तक - 120 दिवस (उपार्जित अवकाश)
2. दिनांक 23.03.19 से 05.05.19 तक - 42 दिवस (परिवर्तित अवकाश)
3. दिनांक 04.05.19 से 07.05.19 तक - 04 दिवस (अवैतनिक अवकाश)

उक्त आदेश मे परिवर्तित अवकाश की अवधि दिनांक 23.03.2019 से 05.05.2019 तक (42 दिवस ) के स्थान पर दिनांक 23.03.2019 से 03.05.2019 तक (42 दिवस ) पढा जावे शेष आदेश यथावत्।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक:- 02/08/19

क्रमांक:-ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/आर-1021/19/ 667  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी।
2. नर्सिंग अधीक्षक, राजकीय जिला चिकित्सालय, बून्दी।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।